



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म० प्र०

निगरानी प्रकरण कमांक- 2। निगरानी। छतरपुर। भू.श.। 2017। 2320
सन्-2017

रामबाबू तनय कुन्जा अहिरवार निवासी ग्राम बगमऊ

तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म० प्र०

— निगरानीकर्ता

बनाम

राजू तनय बल्दू राजपूत निवासी ग्राम बगमऊ

तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म० प्र०

— गैर निगरानीकर्ता

रामबाबू तनय कुन्जा
08-9-17

निगरानी विरुद्ध श्रीमान् अप्रस कलेक्टर महोदय छतरपुर जिला छतरपुर म० प्र० के विविध प्रकरण कमांक- 0039/विविध अन्य/2017 में पारित आदेश दिनांक- 30/06/2017 से परिवेदित होकर म० प्र० भू० रा० सं० की धारा- 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत।

15.09.17

रामबाबू तनय कुन्जा
8.9.17

Debat
08/09/17

सेवा में श्रीमान्

निगरानीकर्ता द्वारा सादर निम्न लिखित विनय प्रस्तुत है :-

1- यह कि भूमि खसरा कमांक- 1231/1,1302, 1310 रकवा कमश:- 1.234, 0.308, 0.352 हे० स्थित मौजा कटहरा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म० प्र० की भूमि आवेदक/ निगरानीकर्ता के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि थी। किन्तु आवेदक/ निगरानीकर्ता का नाम राजस्व अभिलेख से राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण प्रथक हो गया था जिसका रिकार्ड सुधार कराने हेतु आवेदक/ निगरानीकर्ता ने नायब तहसीलदार महोदय बछौन के न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था जिसका प्रकरण कमांक-152/अ-6-अ/2009-10 के तहत दिनांक-30/12/10 को नायब तहसीलदार महो० बछौन द्वारा आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया था। किन्तु हल्का पटवारी एवं कम्प्यूटर शाखा के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण राजस्व अभिलेख

रामबाबू तनय कुन्जा

रामबाबू

रामबाबू

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2320

रामबाबू विरूद्ध राजू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 00039/विविध अन्य/2017 में पारित आदेश दिनांक 30-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 25-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p>3</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 28/2/2019</p>